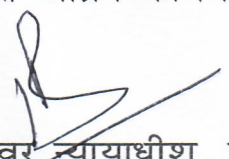


न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.P.S.-18/2020

09/11/2022	वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 से 8 की ओर से हाजरी दी गई है। वादी तथा प्रतिवादी 1 से 8 के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। प्रतिवादी 1 से 8 के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन—पत्र को संचालित कर निवेदन करते हैं कि पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 29-04-2022 को वापस किया जाए तथा प्रतिवादी सं०—1 से 4 को लिखित कथन दाखिल करने का आदेश दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते हैं कि पेपर प्रकाशन के बाद उपरोक्त प्रतिवादी वाद में उपस्थित हुए हैं। अतः खर्चे पर आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाए। वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में दिनांक 29-04-2022 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। चूँकि प्रतिवादी 1 से 4 वाद में संघर्ष करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी 1 से 4 की ओर से दाखिल आवेदन—पत्र को मो० 300/- खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। खर्चे की राशि जमा करने के पश्चात् पारित आदेश प्रभावी होगा। प्रतिवादी 1 से 4 खर्चे की राशि वादी को उपलब्ध करावे। वाद दिनांक 10.11.23. वास्ते अग्रिम कार्यवाही।  अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी
-------------------	---